[illegible] पत्रावली [illegible] पेश हुई।
प्रार्थी [illegible] अनुपस्थित।
[illegible] कार्यवाही
[illegible] 7-12-22 को पेश है।

[illegible] पत्रावली आज पेश हुई।
प्रार्थी वकील अनुपस्थित।
[illegible] समय में रनक रनक
[illegible] बार आवाजे लगवायी
गयी। ना तो प्रार्थी व वकील
और नाही स्वयं प्रार्थी उपस्थित
हुये। अतः पत्रावली सिविल
प्रक्रिया संहिता के आदेश 9
नियम 3 (अदम पैरवी अदम
हाजरी) में खारिज की जाती
है। पत्रावली के [illegible]
नम्बर से कम [illegible]
दाखिल दफ्तर [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2022.12.22 11:08:04 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा